



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

7 भाद्र 1947 (श10)

(सं0 पटना 1435) पटना, शुक्रवार, 29 अगस्त 2025

सं0 सं0-5/बजट (भ0नि0) 5-155/2025 -सा0-15311

सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

18 अगस्त 2025

विषय: राज्य अन्तर्गत सभी जिला समाहरणालय में नागरिक अनुकूल बुनियादी ढाँचे, यथा प्रतीक्षालय, पेय जल, शौचालय, दीदी की रसोई आदि की सुविधा की व्यवस्था के संबंध में।

संविधान में निहित लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना में निहित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये सरकार की सभी प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुँचाना सुशासन का महत्वपूर्ण लक्ष्य है।

2. राज्य के लोक प्रशासनिक व्यवस्था के अन्तर्गत सरकार जिला स्तर पर स्थापित समाहरणालयों के माध्यम से योजनाओं एवं सेवाओं को जन-जन तक पहुँचाने का कार्य करती है।

3. जिलों में अवस्थित समाहरणालयों में राज्य के कई महत्वपूर्ण विभागों से संबंधित जिला स्तरीय कार्यालय अधिष्ठापित हैं, जिनके माध्यम से सरकार की विभिन्न नीतियों एवं कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन, विभिन्न विभागों के प्रशासनिक इकाइयों और अभिकरणों में समन्वय एवं सहयोग, कानून-व्यवस्था संधारण, विकास कार्यों की देख-रेख तथा राजस्व संग्रहण का कार्य किया जाता है।

4. चूंकि समाहरणालय राज्य के कई महत्वपूर्ण विभागों से संबंधित कार्यालयों का जिला स्तर पर एक केन्द्रीयकृत संस्थान है, अतएव जिला स्तर पर कानून व्यवस्था, विकास कार्य, आपदा प्रबंधन, समाज कल्याण से जुड़ी योजनाएँ, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, भूमि विवाद, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण आदि से संबंधित विभिन्न कार्यों का निष्पादन समाहरणालय के द्वारा किया जाता है।

5. जिला मुख्यालयों में अवस्थित समाहरणालय में जिला के सुदूरवर्ती क्षेत्रों के नागरिकों अपने सरकारी कार्यों के निष्पादन के निमित्त समाहरणालय में आना पड़ता है।

6. समाहरणालय के माध्यम से उपर्युक्त अंकित कार्यों का क्रियान्वयन होने के कारण तथा जन मानस में प्रशासनिक संस्थाओं के प्रति पूर्ण विश्वास होने के कारण समाहरणालयों में अत्यधिक संख्या में लोगों का आवागमन बना रहता है।

7. कार्यों के निमित्त दूरस्थ क्षेत्रों से आए लोगों के लिये समाहरणालयों में उपलब्ध आधारभूत आवश्यक सुविधाओं, यथा—शौचालय, पेय जल, प्रतीक्षालय, अल्पाहार गृह आदि की कमी के कारण आगन्तुकों को असुविधा का सामना करना पड़ता है।

8. ऐसी स्थिति में सुदूर क्षेत्रों से अपने कार्यवश समाहरणालय में आने वाले लोगों को पर्याप्त नागरिक अनुकूल मूलभूत सुविधाएँ प्रदान करना सरकार की जिम्मेदारी है।

9. राज्य के सभी प्रखंड—सह—अंचल कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय एवं जिला स्तर पर समाहरणालय में राज्य सरकार के स्तर से जीविका दीदी की रसोई के संचालन हेतु आवश्यक आधारभूत संरचना प्रदान किये जाने के संबंध में पूर्व से ही ग्रामीण विकास, बिहार, पटना का संकल्प संख्या—4254277 दिनांक 25.06.2025 निर्गत है। समाहरणालय में आने वाले आम जनो को भी यह सुविधा निर्धारित शुल्क पर देय होगी।

10. वर्णित स्थिति में राज्य के सभी 38 जिलों में अवस्थित समाहरणालयों में आम जन हेतु निम्नांकित नागरिक अनुकूल बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था किये जाने का प्रस्ताव है:—

(क) प्रतीक्षालय

(ख) शौचालय (महिलाओं के लिये अलग शौचालय सहित)

(ग) स्वच्छ पेय जल

(घ) दीदी की रसोई (आम जनो को अल्पाहार एवं भोजन की व्यवस्था निर्धारित शुल्क पर देय होगी)।

11. इस पर दिनांक 13.08.2025 को हुई राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या—09 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश: आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० बी० राजेन्दर,

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1435-571+100-डी०टी०पी०।

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>